भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3601

जिसका उत्तर बुधवार, 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है

न्याय मित्र

+3601. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :

श्री विनायक भाऊराव राऊत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्याय मित्र योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है :

(ख) क्या न्याय मित्र के माध्यम से गरीब समुदायों को विवादों के समाधान हेतु सहायता भी प्रदान की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) महाराष्ट्र की जिला अदालतों में काम पर लगाए जाने के लिए प्रस्तावित न्याय मित्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या देश की विभिन्न जिला अदालतों में लगभग 100 न्याय मित्रों को काम पर लगाया गया है ; और

(च) यदि हां, तो विशेषरूप से महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : न्यायमित्र कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों, जिसके अंतर्गत सिविल मामले, जैसे-वैवाहिक मामले, दुर्घटना दावा मामले और दांडिक मामले भी हैं, में दस वर्ष से अधिक लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना है ।

(ग) से (च) : अप्रैल, 2017 से न्यायमित्र कार्यक्रम के आरंभ से कुल 29 न्यायमित्र उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, ओडिशा में काम पर लगे हुए हैं जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के सिविल न्यायालय मुंबई शहर में एक न्यायमित्र भी है ।

अभी तक गुजरात राज्य में कोई भी न्यायमित्र काम पर नहीं लगाया गया है ।

****